राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प0 27(13)चिस्वा/2/2017 जयपुर दिनांक 10.04.2017

मैसर्स एशियन सेल्स, खण्डेलवाल मैंशन, पांच बत्ती सर्किल एम.आई.रोड़ जयपुर अपीलान्ट

बनाम

प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर। रेस्पोडेंट

अन्तर्गत धारा 38 (1), RTPP Act, 2012
प्रथम अपील संख्या –13/2017

निर्णय दिनांक 10.04.2017

अपीलार्थी मैसर्स एशियन सेल्स, खण्डेलवाल मैंशन, पांच बत्ती सर्किल एम.आई.रोड़ जयपुर की ओर से श्री अजय खण्डेलवाल, प्रोपाईटर उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की तरफ से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी एवं कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), आदि रेस्पोडेन्ट उपस्थित हुये। दोनों पक्षकारों को दौरान सुनवाई सुना गया एवं प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन किया गया। संक्षिप्त मे अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है:–

आर.एम.एस.सी.एल. द्वारा निविदा संख्या 174 दिनांक 11.07.2016 जारी कर आईटम Heavy Duty Racking system 2400 mm & Heavy Duty Racking system 4200 mm के लिये खुली निविदाए आमन्त्रित की गई। निविदाओ की तकनीकी बिड दिनांक 02.12.2016 को खोली गई। उक्त निविदा अन्तर्गत आईटम Heavy Duty Racking system 2400 mm & Heavy Duty Racking system 4200 mm के लिये अपीलान्ट फर्म M/s Asian Sales Jaipur एवं अन्य 07 फर्मो ने भाग लिया। आरएमएससीएल ने तकनीकी बिड का मूल्यांकन पूर्ण करते हुये कार्यालय आदेश क्रमांक 612 दिनांक 15.02.2017 से List of Responsive/Non-Responsive Bidders की घोषणा तथा निविदा की वित्तीय बिड खोले जाने की सूचना जारी की। जिसमें अपीलान्ट फर्म M/s Asian Sales Jaipur को Responsive घोषित किया गया। आदेश क्रमांक 612 दिनांक 15.02.2017 अन्तर्गत वित्तीय बिड दिनांक 20.02.2017 को खोला जाना निर्धारित किया गया। अपीलान्ट फर्म M/s Asian Sales Jaipur ने आदेश क्रमांक 612 दिनांक 15.02.2017 से फर्म डेनियल फर्नीचर प्रा.लि. जोधपुर को Responsive घोषित किये जाने को अनुचित बताते हुये व्यथित होकर हस्तगत प्रथम अपील RTPP Act 2012 की धारा 38(1) अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपील की प्रथम सुनवाई दिनांक 22.03.2017 को की गई। अपीलान्ट फर्म ने अपील मे संलग्न दस्तावेजो की सत्यता बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त सुनवाई की कार्यवाही में आगामी सुनवाई दिनांक 03.04.2017 रखी गयी, जिसमें वृद्धि करते हुए दिनांक 10.04.2017 रखी गयी।

सुनवाई दिनांक 10.04.2017 को दोनो पक्षकारो की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी फर्म ने मुख्यतः अपील मे उल्लेखित तथ्यो को ही दोहराया एवं संलग्न सम्बन्धित दस्तावेज को साक्ष्य में प्रस्तुत किया। अपीलान्ट फर्म का प्रमुख रूप से तर्क रहा कि आईटम Heavy Duty Racking system 2400 mm & Heavy Duty Racking system 4200 mm के लिये मैसर्स डेनियल फर्नीचर प्रा.लि. जोधपुर ने निविदा में उधोग विभाग जोधपुर

से जारी क्रय अधिमान प्रमाण पत्र (PPC) से संबंधित फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किये है। फर्म ने तकनीकी रूप से अर्हित होने के उद्देश्य से दुर्व्यपदेशन (Mis-representation) का सहारा लेकर ये दस्तावेज निगम को प्रस्तुत किये है। अर्थात् अपीलान्ट फर्म के अनुसार निगम ने फर्म मैसर्स डेनियल फर्नीचर प्रा.लि. जोधपुर की निविदा को Responsive किया है, वह उचित नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट निगम द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मैसर्स डेनियल फर्नीचर प्रा.लि. जोधपुर ने निविदा अन्तर्गत जिला उधोग केन्द्र जोधपुर द्वारा दिनांक 19.01.2016 को जारी किये गये अधिमान प्रमाण पत्र में 123 आईटमो की सूची ई–पोर्टल पर अपलोड की थी। फर्म मैसर्स डेनियल फर्नीचर प्रा.लि. जोधपुर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निगम ने फर्म की निविदा Responsive माना जाकर अग्रिम कार्यवाही की है। अपीलार्थी द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि/प्रमाणिकता हेतु, महाप्रबंधक जिला उधोग केन्द्र, जोधपुर को आरएमएससी द्वारा पत्र लिखा गया, जिसके प्रतिउत्तर में उधोग विभाग ने उनकी पत्रावली में मौजूद 121 आईटमों की सूची सहित आवेदन पत्र की छायाप्रति निगम को प्रेषित की। महाप्रबंधक जिला उधोग केन्द्र, जोधपुर से प्राप्त 121 आईटमों की सूची एवं निविदा में प्रस्तुत 123 आईटमों की सूची में भिन्नता से एक बार पुनः महाप्रबंधक जिला उधोग केन्द्र, जोधपुर को अवगत कराते हुए ठोस एवं प्रमाणिक दस्तावेज मांगे गये। जिसके जवाब में महाप्रबंधक जिला उधोग केन्द्र, जोधपुर ने दिनांक 27.03.2017 के पत्र द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना को ही प्रमाणिक बताते हुए आवेदन पत्र में कुल 121 आईटम की सूची की ही पुष्टि की। इस सूची में Production Capacity में Steel/Particle/MDF/Wooden के कुल 92 आईटम अंकित है।

इसी संबंध में फर्म मैसर्स डेनियल फर्नीचर प्रा.लि., जोधपुर ने स्वः प्रेरणा (Sou-Motu) से समान क्रय अधिमान प्रमाण–पत्र के लिए, दिनांक 30.03.2017 को जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर को, निविदा में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करते हुए, जारी क्रय अधिमान प्रमाण–पत्र दिनांक 16.01.2016 के 121 आईटमों व दिनांक 19.01.2016 को जारी संशोधित सूची, 123 आईटमो की सत्यापित जानकारी निगम को दिये जाने का आग्रह किया। फर्म डेनियल फर्नीचर प्रा.लि. जोधपुर के इस आग्रह को वरीयता देते हुए जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर ने फर्म द्वारा निविदा में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की छायाप्रति को पत्र क्रमांक 708 दिनांक 31.03.2017 से संलग्न कर निगम के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई दिनांक 10.04.2017 को फर्म डेनियल फर्नीचर प्रा.लि. जोधपुर के प्रतिनिधि ने स्वः प्रेरणा से उपस्थित होकर दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये। Order Rule 10 CPC की शक्तियों के तहत मैसर्स डेनियल फर्नीचर प्रा.लि. जोधपुर को भी अपनी बात कहने का अवसर दिया गया। प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी ने पिछली सुनवाई के क्रम में मैसर्स डेनियल फर्नीचर प्रा.लि. जोधपुर की महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 27.03.2017 एवं रिपोर्ट दिनांक 31.03.2017 भी प्रस्तुत की। जिसे दौरान सुनवाई पत्रावली पर लिया गया। मैसर्स डेनियल फर्नीचर प्रा.लि. जोधपुर की तरफ से श्री एच0आर0 पटेल ने खुद ही अपने दस्तावेज प्रस्तुत किये जो कि प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों के समान ही पाये गये। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर की रिपोर्ट दिनांक 31.03.2017 जो कि श्री के0आर0 मेहरा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर द्वारा हस्ताक्षरित है,का अवलोकन किया गया। इससे पूर्व इसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक अन्य रिपोर्ट क्रमांक 657 दिनांक 27.03.2017 भी है, ये दोनों रिपोर्ट भिन्न है। अपीलकर्ता ने बताया कि उनके द्वारा RTI में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर के कार्यालय से जो सूचना प्राप्त की है, उसमें फर्म की 121 Items की सूची है जो अपील में संलग्न है। यह सूची महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर द्वारा रिपोर्ट पत्र क्रमांक 657 दिनांक 27.03.2017 की रिपोर्ट जैसी ही है, अतः सूची में 121 Items ही है।

ई–पोर्टल राजस्थान सरकार पर RMSA, Bikaner के एक अन्य टेन्डर 30.06.2016 में मैसर्स डेनियल फर्नीचर प्रा.लि. जोधपुर के द्वारा जो लिस्ट अपलोड की है, उसमें भी 121 Items ही है। RMSA, Jodhpur के 26.05.2016 की निविदा में अपलोड दस्तावेज में भी 121 Items की ही लिस्ट है। अतः यहां इस इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मैसर्स डेनियल फर्नीचर प्रा.लि. जोधपुर के दस्तावेजों के फर्जी होने की संभावना है। इस प्रकरण में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर के गैर जिम्मेदाराना पत्रों से Mis-representation of facts before Govt. Authority की नौबत आयी है। अतः यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में तथ्यों की

प्रमाणिकता बाबत आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान से समन्वय किया जावें एवं संबंधित अधिकारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर के द्वारा जारी संदिग्ध दस्तावेजों के संबंध में जांच की कार्यवाही हेतु लिखा जावें।

अतः इस बाबत जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर के कार्यालय की पत्रावलियों की जांच कर सही मामले तक पहुंचने हेतु आयुक्त उद्योग, राजस्थान को पत्र लिखा जावे। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों एवं दस्तावेजों अनुसार यह अपील स्वीकार की जाकर प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी को निर्देशित किया जाता है कि RTPPA की धारा 11, 46, 25 की पालना करते हुए कार्यवाही करें। पूर्ण जॉच के उपरांत ही बिड का अंतिम विनिश्चय सुनिश्चित हो।

आदेश

अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं विभाग के पोर्टल पर भी दर्शित किया जावें। पत्रावली निर्णय मे सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।

अपीलीय अधिकारी एवं
शासन सचिव